



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082025-265162
CG-DL-E-01082025-265162

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3467]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 1, 2025/श्रावण 10, 1947

No. 3467]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 2025/SHRAVANA 10, 1947

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2025

का.आ. 3551(अ).—केंद्रीय सरकार, ओषधि और प्रसाधन सामग्री (अपराधों का शमन) नियम, 2025 के नियम 3 के उप-नियम (1) के अनुसरण में, केंद्रीय ओषधि मानक नियंत्रण संगठन के मामलों से निपटने वाले स्वास्थ्य सेवाओं के अपर महानिदेशक को, अपराधों के शमन के संबंध में केंद्रीय सरकार की शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करने और उक्त नियमों से उद्भूत मामलों के संबंध में उपाय करने के प्रयोजनार्थ शमन प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. एक्स. 11035/127/2023-डीआर]

राजीव वधावन, सलाहकार (लागत)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st August, 2025

S.O. 3551(E).— In pursuance of sub-rule (1) of rule 3 of the Drugs and Cosmetics (Compounding of Offences) Rules, 2025, the Central Government hereby appoints Additional Director General of Health Services dealing with the matters of Central Drugs Standard Control Organization, as compounding authority for the purpose of exercising powers and functions of the Central Government in respect of compounding of offences and for taking measures with respect to matters arising from the said rules.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. X.11035/127/2023-DR]

RAJIV WADHAWAN, Adviser (Cost).